

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
रोहिणी खेल परिसर  
रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085

क्रमांक SP/RSC/0049/2023/F1/-RSC/504

दिनांक : 28/08/2023

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 02 /आरएससी/डीडीए/2023-24(पहला रि कॉल )

रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड न की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य किए हों (तीन या अधिक समान प्रकृति के कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का 40% से कम न हो, या दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का 60% से कम न हो) सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पिछले सात वर्षों के दौरान तत्काल अंतिम के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक कारोबार के साथ कोटेशन, या एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम न हो) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित मार्च 2022 को समाप्त होने वाले लगातार तीन वित्तीय वर्ष आवेदन करने के हकदार हैं। इसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। कोटेशनकर्ता को व्यापार एवं कर विभाग, जीएनसीटीडी/जीएसटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

कार्य का नाम :- एम/ओ रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।

एसएच : रोहिणी खेल परिसर में टेनिस क्ले कोर्ट के रखरखाव के लिए लाल मूरम की आपूर्ति।

अनुमानित लागत: रु.17,766 / -

बयाना राशि- रु. 1,000/-

दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं और बोलियां 11/09/को अपराह्न 03:00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। 2023 (जमा करने की अंतिम तिथि)। तकनीकी बोली 12/09/2023 को अपराह्न 03:30 बजे खोली जाएगी। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा। कोटेशनकर्ताओं को ई-टेंडरिंग पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

- ईएमडी के आरटीजीएस/एनईएफटी के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति।
- PANNo की स्कैन की हुई कॉपी।
- स्कैन की गई कॉपी जीएसटी पंजीकरण।
- किसी भी सरकार में समान प्रकृति के कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। संगठन/पीएसयू
- डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए टर्नओवर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई कॉपी, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट/सीए फर्म द्वारा विधिवत ऑडिट और प्रमाणित।
- नवीनतम गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर उपक्रम की स्कैन की गई प्रति। 100/- वह एजेंसी किसी भी सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई है या प्रतिबंधित नहीं है। /पीएसयू या निजी संगठन एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदाकर्ता।
- एनआईक्यू के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

वित्तीय बोली (दूसरा आवरण)

1) BoQ\_XXXXX.xls के रूप में मूल्य बोली की अनुसूची

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों की कमी पाए जाने वाली किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकृत बोलीदाता/निविदाकर्ता को ई-टेंडरिंग वार्षिक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है (साथ ही लागू जीएसटी):

क्र.सं	ठेकेदार का वर्ग	प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली राशि
1	क्लास- I	रु. 20,000/- + जीएसटी@18%
2	वर्ग द्वितीय	रु. 16,000/- + जीएसटी@18%
3	कक्षा-III	रु. 14,000/- + जीएसटी@18%
4	चतुर्थ श्रेणी	रु. 10,000/- + जीएसटी@18%
5	कक्षा-वी	रु. 6,000/- + जीएसटी@18%

जो बोलीदाता/निविदाकर्ता डीडीए में पंजीकृत नहीं हैं और डीडीए निविदा में बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें ई-टेंडरिंग का वार्षिक शुल्क निम्नानुसार भुगतान करना होगा:

क्र.सं	काम की लागत	ई-टेंडरिंग शुल्क
1.	तक . 15.00 लाख	रु. 6000/- + जीएसटी जैसा लागू हो
2.	रुपये से ऊपर. 15.00 लाख से 20.00 करोड़	रु. 20000/- + जीएसटी जैसा लागू हो
3.	रुपये से ऊपर. 20.00 करोड़	रु. 50000/- + जीएसटी जैसा लागू हो

निविदा दो भागों अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में ऑनलाइन जमा की जाएगी ।

नोट (1): - बोलीदाता केवल एक कार्य के लिए एक यूटीआर का उपयोग करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक यूटीआर नंबर का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाएं खारिज कर दी जाएंगी और उसे भविष्य में डीडीए में आगे की निविदा देने से रोक दिया जाएगा।

नोट (2):- इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा डालने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित शुल्क सीआरबी के पास पहले ही जमा कर दिया गया है ।

नोट (3):- निविदाएं खुलने तक निविदाकारों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी केवल सबसे कम निविदाकर्ता से ही आवश्यक होगी।

नोट (4):- नियम और शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, आरटीजीएस मोड के माध्यम से बयाना राशि जमा करने का तरीका और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/> पर जाएं। [eprocure/app](https://eprocure.gov.in/) या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in)। ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित ईई या मेसर्स एनआईसी से ईमेल [cppp-nic@nic.in](mailto:cppp-nic@nic.in) या 0120-4001062, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर संपर्क करें, या एक मेल भेजें - [समर्थन -eproc@nic.in](mailto:samrthn-eproc@nic.in) ।

#### नियम एवं शर्तें:-

1.उद्धृत दरों में सभी कर/लेवी, यदि कोई हो, शामिल होनी चाहिए। डीडीए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा, चाहे वह कुछ भी हो।

इस संबंध में .

2.परिवहन/कर के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

3. कार्य सचिव/आरएससी के निर्देशानुसार निष्पादित किया जाएगा।

4. निष्पादित कार्य की गुणवत्ता के संबंध में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। आपूर्तिकर्ता/एजेंसी को किसी फोरम के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

5.आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ लागू होने पर की जाएंगी।

6. कोटेशनकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसे जीएसटी की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी पंजीकरण .

7. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.किसी भी व्यक्ति को, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, किसी भी वार्ता में भाग लेने या प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है

एजेसी के पास एजेसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। कोई भी एजेसी जो वर्जित व्यक्तियों को नियुक्त कर रही है रोक लगाने का भी दायित्व है।

9.सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, जब भी कोई कमी हो सेवा पर ध्यान दिया जाता है, तो उसे सुधार के लिए एजेसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि कोई नहीं है सुधार/सुधार, अनुपातिक कटौती, जैसा अनुमोदित हो सक्षम प्राधिकारी, एजेसी/ठेकेदार से बनाया जाएगा।

11. बोली लगाने वाले को बयाना राशि जमा करनी होगी।

12. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

13. भुगतान आरई/सचिव/आरएससी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।

14. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं की जाएगी।

15.एजेसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

16.आयुक्त (खेल) के पास बिना बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। कारण .

17. यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो आयुक्त (खेल) के पास संबंधित एजेसी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है काम घटिया पाए जाने पर निर्धारित समय दिया गया।

18. लागू होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।

19. निविदा राशि से 10% सुरक्षा जमा राशि की कटौती की जायेगी।

20. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।

21.विभाग द्वारा एजेसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

22. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।

23.यदि संपूर्ण कार्य कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह पूर्ण विवेकाधिकार होगा को मद के कार्य को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करना होगा जिन्हें सचिव उपयुक्त और उचित समझे या आपूर्ति /कार्य आदेश रद्द करना/कार्य के बदले कोई भुगतान रोकना/बयाना राशि जब्त करना या संबंधित एजेसी को डिबार करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा नहीं बुलाया जाएगा।

24.कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। यदि कोई हानि/चोरी/क्षति हुई हो साइट /आस-पास, इसकी भरपाई उद्धृत दरों के साथ की जाएगी या एजेसी से वसूल की जाएगी/करेगी एजेसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाना चाहिए।

25. इसमें शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा एजेसियां जिनमें स्वामित्व शामिल नहीं है।

26.यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। कॉम्प्लेक्स के सचिव, सीनियर एओ (स्पोर्ट्स) और डीडीओ की एक समिति द्वारा किया गया जटिल .

27. आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपूर्ति पूरी की जाएगी।

- एसडी -

आरई(सी)/आरएससी, डीडीए

दिनांक :28 /08/2023

न0- एसपी/आरएससी/0049/2023/एफ1/-आरएससी/504

प्रतिलिपि :-

1.आयुक्त (खेल), डीडीए - कृपया जानकारी के लिए

2. सचिव, डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, विकास कुटीर, नई दिल्ली।

3. सचिव, डीडीए बिल्डर्स, ई-18, विकास कुटीर, नई दिल्ली

4. महासचिव, दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग-II, नई दिल्ली-110049।

5.डीडीए खेल परिसरों के सभी सचिव

6. सचिव /आरएससी, डीडीए

7.एओ /आरएससी,डीडीए

8.संबंधित आई (सिविल/इलेक्ट.)/एडी .( हॉर्ट.)/ मैनेजर,आरएससी,डीडीए

9.नोटिस बोर्ड

10.डीडीए वेबसाइट - शेड्यूल के साथ [ddatender@dda.org.in](mailto:ddatender@dda.org.in) पर ई-मेल के माध्यम से।

- एसडी -

आरई(सी)/आरएससी, डीडीए

मात्रा की अनुसूची

कार्य का नाम: एम/ओ आरएससी।

एसएच: एसएच :- आरएससी, डीडीए में क्ले कोर्ट के लिए रेड मॉरम की आपूर्ति और स्टैकिंग ।

क्र.सं.	आइटम का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रुपये में)	मात्रा (रुपये में)
1.	आरएससी, डीडीए के लिए साइट पर रेड मॉरम की आपूर्ति और स्टैकिंग ।	20.00	घन मीटर		
				कुल	